न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 168/2018

1. विजय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट निवासी साहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. परमेश्वरी धर्मपत्नी श्री सोहन लाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. चेतराम पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रवि पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सरस्वती पत्नी श्री प्रभुदयाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2.	श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 2
3.	श्री रोबिन कुमार गुम्बर	प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4
4.	पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.01.2019

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 41/37 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2068–2071) का मुरब्बा नम्बर 34 व 40 की कुल 5.0190 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 1.255 हैक्टर कृषि भूमि वादी विजय सिंह के नाम से तथा 2/4 हिस्सा यानि 2.510 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर शेष 1/4 हिस्सा में से 0.836 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से व 0.418 हैक्टर भूमि प्रतिवादिया संख्या 4 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं।

प्रतिवादिया संख्या 1 वादी की माता, प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 वादी के मृतक भाई प्रभुदयाल के वारिसान हैं तथा उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को एक ही परिवार की उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है तथा संयुक्त खाता में दर्ज कागजात है, परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व उक्त सांझे खाते की भूमि का आपसी सहमति से मौखिक रूप से घरू

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

बंटवारा कर लिया था तथा उक्त भूमि में से घरू बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/2 में से 0.016 हैक्टर नहरी भूमि किला नम्बर 21 के साथ चिपती हुई, किला नम्बर 21/1 की 0.240 हैक्टर नहरी भूमि, किला नम्बर 22, 23 व 24 की 0.759 हैक्टर नहरी भूमि, किला नम्बर 25/1 की 0.240 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.255 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी को प्राप्त शुदा है तथा वादी उक्त किलाजात पर पिछले काफी अर्सा से काबिज चला आ रहा है तथा काश्त कर रहा है। शेष भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहें हैं।

वादी ने काफी धन खर्च करके व भारी मेहनत करके उक्त रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं, अब उक्त रकबा उपजा व कीमती बन चुका है, वादी नें अपने रकबा में बागवानी कर रखी है। तथा डिग्गी बना रखी है वादी उन्नत खेती करना चाहता है। जिसके लिए वादी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है। मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने रहने से वह ना तो सुधार कार्य करवा पा रहा है तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है, इसलिए वादी उक्त वर्णित कब्जानुसार बंटवारा की डिक्री प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का घरू बटवारा व कब्जानुसार सहमति से खाता विभाजन करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है. पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, दिनांक 10.10.2018 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है।

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. वाके चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 34 व 40 की कुल 5.0190 है नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/2 में से 0.016 हैक्टर नहरी भूमि किला नम्बर 21 के साथ चिपती हुई, किला नम्बर 21/1 की 0.240 हैक्टर नहरी भूमि, किला नम्बर 22, 23 व 24 की 0.759 हैक्टर नहरी भूमि, किला नम्बर 25/1 की 0.240 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.255 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर, खाता विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा उक्त वर्णित किलाजात अनुसार रकबा वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.01.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की पहचान श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष वादी एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते :–

1. वादी विजय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 34 की 1.365 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 5/1, 6/2, 15/1, 16/2, 25/1 (प्रत्येक की पूर्वी दिशा में से 0.013 हैक्टर) किला नम्बर 24 में से 0.016 हैक्टर (दक्षिणी हिस्सा) व किला नम्बर 23 की 0.227 हैक्टर कुल 1.673 हैक्टेयर कृषि भूमि ।
2. प्रतिवादी चेतराम पुत्र श्री सोहन लाल का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 4 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 5/1 में से 0.227 हैक्टर, 6/2 में से 0.227 हैक्टर, 7 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 14 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 15/1 में से 0.227 हैक्टर, 16/2 में से 0.227 हैक्टर, 17 में से 0.112 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 24 में से 0.112 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 25 में से 0.202 हैक्टर कुल 1.673 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी रवि पुत्र प्रभुदयाल को 1.255 हैक्टर व प्रतिवादिया सरस्वती पत्नी प्रभुदयाल को 0.418 हैक्टर का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टर, 4 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 7 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 8 व 13 की 0.506 हैक्टर, 14 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 17 में से 0.141 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 18 में से 0.253 हैक्टर 24 में से 0.100 हैक्टर पश्चिमी, उत्तरी हिस्सा, कुल 1.673 हैक्टर कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। तथा प्रतिवादीया संख्या 1, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की दादी है। प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमती परमेश्वरी देवी ने अपने हिस्सा की भूमि का बंटवारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा वादी के साथ करके उन्हे कब्जा दिया हुआ है तथा प्रतिवादिया संख्या 1 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों व पौत्र में किया है तथा अपनी स्वेच्छा से अपने नाम से कोई भूमि नहीं रखना चाहती है। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये जानें पर पाया कि चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 41/37 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2068–2071) का मुरब्बा नम्बर 34 व 40 की कुल 5.0190 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 1.255 हैक्टर कृषि भूमि वादी विजय सिंह के नाम से तथा 2/4 हिस्सा यानि 2.510 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर शेष 1/4 हिस्सा में से 0.836 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से व 0.418 हैक्टर भूमि प्रतिवादिया संख्या 4 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जो खातेदारी भूमि होनें के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी विजय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 34 की 1.365 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 5/1, 6/2, 15/1, 16/2, 25/1 (प्रत्येक की पूर्वी दिशा में से 0.013 हैक्टर) किला नम्बर 24 में से 0.016 हैक्टर (दक्षिणी हिस्सा) व किला नम्बर 23 की 0.227 हैक्टर कुल 1.673 हैक्टेयर कृषि भूमि ।
2. प्रतिवादी चेतराम पुत्र श्री सोहन लाल का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 4 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 5/1 में से 0.227 हैक्टर, 6/2 में से 0.227 हैक्टर, 7 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 14 में से 0.113 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 15/1 में से 0.227 हैक्टर, 16/2 में से 0.227 हैक्टर, 17 में से 0.112 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, 24 में से 0.112 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 25 में से 0.202 हैक्टर कुल 1.673 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी रवि पुत्र प्रभुदयाल को 1.255 हैक्टर व प्रतिवादिया सरस्वती पत्नी प्रभुदयाल को 0.418 हैक्टर का हिस्सा :– चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 41/37 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टर, 4 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 7 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 8 व 13 की 0.506 हैक्टर, 14 में से 0.140 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 17 में से 0.141 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, 18 में से 0.253 हैक्टर 24 में से 0.100 हैक्टर पश्चिमी, उत्तरी हिस्सा, कुल 1.673 हैक्टर कृषि भूमि।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर